10/07/19

बकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने/भ्रमण पर
है/अवकाश पर है। अतः पत्रावली दिनांक 29/07/19 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

29/07/19

बकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने/भ्रमण पर
है/अवकाश पर है। अतः पत्रावली इत्तवा होकर
पत्रावली दिनांक 05/08/19 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

05-08-19 बकुलाय उपस्थित। बहसपाबाड़ अपील अधिवक्ता अपीलार्थी ने राजस्व अपील विरुद्ध रेस्पो० अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के तहत बाबत नाप सं० 935 दिनांक 20-06-2016 द्वारा सरपंच ग्रा०पं० सिपाट इस आशय की पेश की है कि मौजा-सिपाट पटा० सिपाट तहसील-सोजत में स्थित भूमि ख० नं० 677 रकबा 01=5900 हैक्टर जो आराजी स्थित है, उक्त भूमि स्वामि को अपीलार्थी ने रेस्पो० सं० 1 से 5 के पिता पति जामाराम पुत्र हजाराम मीणा वासी समदड़ा सिपाट के कब्जे दखीलाराम पुत्र चिमनाराम मीणा वासी सिपाट ने बोली पूर्व दखीलाराम का 1/36 हिस्सा तथा जामाराम का 5/144 हिस्सा दि० 10-07-2014 जरिए पंजीबद्ध बयान खरीद किया जिस पर अपीलार्थी का कब्जा काबिज है। उक्त भूमि स्वामि को खरीद के पश्चात् समय समय पर रकम उक्त स्वामि का जामाताराम बयान राजिनामे अनुसार अपीलार्थी के नाम कब्जा हेतु निबटा किया। किन्तु अपीलार्थी राजस्व अभिलेख में बाहर काबिज होने से जामाताराम बयान राजिनामे अनुसार किसी भाग की जानकारी नहीं करता। इस दौरान रेस्पो० जामाराम की मृत्यु होजाने पर रेस्पो० सं० 1 से 5 उनके वारिसान ख० नं० 677 रकबा 01.5900 हैक्टर स्वामि का मौतफी जामाताराम दि० 20-06-2016 को अपने नाम करवा लिया। रेस्पो० सं० 1 से 5 को पूरी जानकारी थी कि उक्त भूमि स्वामि उनके पिता के कब्जे में है। रेस्पो० सं० 6 द्वारा जरिए पंजीबद्ध बयान अपीलार्थी के पक्ष में करवाया चुके है तथा सम्पूर्ण पूर्ण रकम राशि अपीलार्थी द्वारा रेस्पो० सं० 6 को अदा कर दी है रेस्पो० सं० 6 ने राशि जामाराम को अदा कर दी है। उक्त स्वामि का कब्जा भी अपीलार्थी को सुपुर्द कर दिया है।

Surrender

लगातार-

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किट की धारा सं० 145 के विवाद बाबत विपक्षगण
आपत्तिकर्ता के आपत्तिकर्ता भूमिधरान नाम सूर्य
कुमार, जो कानूनन वारिसान होने से दखलिश पाया है।
आपत्तिकर्ता द्वारा समय-समय पर तहसीलदार जी, सोजत
के समक्ष दि० 06-5-2016, 27-06-17, 27-04-2018 को प्रार्थना
दिये कि आवश्यक पंजीबद्ध बैनामा आपत्तिकर्ता के पक्ष
में नामान्तरण कर दिया गया है। आपत्तिकर्ता
द्वारा दि० 25-04-2018 को तहसीलदार, सोजत को
पंजीबद्ध इकरार दि० 10-07-2014 अनुसार भूमिधरान होने
का प्रार्थना पत्र देकर फर्जी पटवारी सिपाह के दिये पर
पटवारी द्वारा तहसीलदार, सोजत को अवगत कराया कि
जमाबन्दी सत्र 2013-14 अनुसार बैनामा करता
सीमाराम पुत्र नाम कर न होकर पटवारी सिपाह से
धारा सं० 145 की सिलसिले में उक्त बैनामा की
जानकारी होने के आवश्यक नीलाम सं० 935 दिनांक
20-06-2016 को स्वीकृत कर दिया। उक्त भूमिधरान
प्रावधान से ही अवहेलना की गई है, आपत्तिकर्ता के
एक सादे कागज के विरुद्ध बेजा व बेअसर
कार्यवाही है। उक्त पंजीबद्ध इकरारनामा आपत्तिकर्ता के
पक्ष में दि० 10-07-2014 को जाने से उक्त भूमि आपत्ति
पर एक सादे कागज आपत्तिकर्ता के है तथा धारा सं०
145 द्वारा स्वीकृत नीलाम सं० 935 दि० 20-06-2016
अपास्त योग्य है। इस प्रकार वादग्रस्त आपत्ति
आपत्तिकर्ता अधिनियम धारा 5 माह शपथ का प्रार्थना
एवं शपथ-पत्र इकरारनामा पेश किया है चूंकि धारा सं०
145 के पिता पति जमाराम की मृत्यु पश्चात
नीलामी नीलाम सं० 935 दि० 20-06-2016 होने की जानकारी
आपत्तिकर्ता को माह में दिनांक 27-04-18
को तहसीलदार सोजत द्वारा पटवारी सिपाह को प्रार्थना
पत्र देने पर अवधि दि० 27-04-18 को होने पर
सूचना जानकारी में आने से इकरार आपत्ति पक्ष
में दखल तक की कार्यवाही को कैन्सल (शून्य) की जाकर
आपत्तिकर्ता आपत्तिकर्ता स्वीकार किये जाने तथा नीलाम
सं० 935 दिनांक 20-06-2016 को अपास्त किये जाने तथा
जारिए बैनामा पंजीबद्ध इकरार अनुसार आपत्तिकर्ता के
नाम पुनः नामान्तरण दर्ज किये जाने की इल्तिजा
की है। उस पर राजस्व आपत्ति दर्ज रजिस्टर
का रेकर्ड की जारिए नोटिस तलब किया गया।
धारा सं० 145 की रोक से दिनांक 26-09-18
को श्रीमिश्री चौधरी आपत्ति दावेदार तथा दिनांक
25-03-2019 को धारा सं० 6 की रोक से श्री
महावीर प्रसाद भेवाराम आपत्तिकर्ता, जसवन्त पुत्र जमा
पक्ष किये, साथ ही धारा सं० 7 का आवश्यक तामील
सूचना कार्यालय किया जाने पर भी
अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
की जाती है। आपत्तिकर्ता धारा सं० 145 के प्रार्थना
पत्र धारा 5 माह आपत्ति आवेदन प्रार्थना पत्र किया कि
आपत्ति आपत्तिकर्ता अनुसार आपत्तिगण आपत्ति
माह कार्य पक्ष कोई। जमाराम के स्वर्गवास माह
लगातार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

भूमि दर्ज ना० सं० 935 दिनांक 20-06-2016 को स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट ने उक्त मुहानबन्दी सही प्रमाण जारी 27-04-2018 को होना बताया जबकि अपीलान्ट ने व्यवस्थानुसार अपीलान्ट ने अपने पक्ष में रवीन्द्रराम द्वारा 10-07-2014 को रजिस्ट्री करवाना बताया है। यदि इस समय सही रजिस्ट्री अपीलान्ट के पक्ष में होने की जानकारी होती तो जसमाराम के जीवनकाल में ही दर्ज करवाता, लेकिन 4 वर्ष तक अपीलान्ट चुप रहा। अपीलान्ट ने तहसीलदार, साजत के समक्ष प्रार्थना दिनांक 06-05-2016 को देना बताया तथा उसके बाद दिनांक 27-06-2017 को भी अविरल-पत्र देना बताया है, इसी विधि में अपीलांट ने जसमाराम के वारिसान के नाम दर्ज होने की जानकारी दिनांक 27-06-2017 को ही हुई थी। जसमाराम के वारिसान के नाम भूमि की नामान्तरण दिनांक 20-06-2016 को स्वीकृत किया जा चुका था। अपीलान्ट को वर्ष 2017 में ही जानकारी हो गई थी। आवश्यक भी निर्णय अपील में अपील पेश करने की गई। अपीलान्ट की अपील समयावधि बारह पेश की गई है। जसमाराम ने अपीलान्ट को कोई कब्जा नहीं दिया है। अपीलान्ट जसमाराम का काश्तकार होता नहीं किया है। अपीलान्ट जसमाराम द्वारा गांव सुरतपुर रवीन्द्रराम को नियुक्त करना बताया जबकि ऐसा कोई आदेश रवीन्द्रराम के पक्ष में नहीं करवाया है। इस प्रकार जबकि प्रार्थना पत्र आदेश तथा आदेश सं० सिड ने पेश कर अपीलान्ट की अपील समयावधि बाधित होने से खारिज किये जाने की हकदार नहीं है।

बहस बचाव अपील एवं पत्रावली सुनी गई व समाप्त की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने वर्णन किया कि दिनांक 10-07-2014 को अपीलान्ट के पक्ष में होने के पश्चात् एसडीएम द्वारा अपने पिता जसमाराम के नाम दर्ज भूमि ना० सं० 935 दिनांक 20-06-2016 द्वारा शामिल रूप से फर्जी एसडीएम सिड ने अमुक नाम दर्ज करवा लिया जो अनियमितता से अमुक नाम दर्ज है। जिसमें अपील अपीलान्ट, अपास्त योग्य है। जिसमें अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने, पत्रावली खारिज किये जाने योग्य होने तथा प्रस्तुत तहसीलदार, साजत के अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र साजत के समक्ष दायर पर भामाशाह पंजी दर्ज होने तथा पत्रावली में प्रस्तुत मय पटवारी रिपोर्ट की तहसीलदार, साजत के प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27/1/18 अनुसार पूर्व प्रथम जानकारी दिनांक से अपील पेश होने तक की समयावधि को बाधित (क्षम्य) करना जायज होने तक की अपील स्वीकार किये जाने, ना० सं० 935 खारिज किया जाकर तहसीलदार, साजत को नये सिरे से वास्तविक पंजीबद्ध काश्तकार की जांच तथा किसी तथ्यों की जांच करके तत्पश्चात समस्त सामान्यावाणी निर्णय पारित किये जाने की हकदार करार जबकि बहस में अधिवक्ता एसडीएम सिड ने अपील बाधित होने से अपील खारिज किये जाने की हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली का सावधानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व अपील अधि० आदेश-पत्र एवं हस्तांतरण तथा धारा 5 अधि० आदेश पत्र व आदेश पत्र का गहराई पूर्वक अवलोकन किया गया। वास्तव में पंजीबद्ध हस्तांतरण के आधार पूर्व नामान्तरण का आदेश पृष्ठ पत्रों तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार जाखिल पंजीबद्ध भूमि प्रतिपाल शाही सेवार इस्पो० सं० 1/15 का पिता जसराम कस्सा जमीन बेचान किए जाने का आवश्यक नामान्तरण नहीं करा गया। तत्पश्चात जसराम की मृत्यु होने पर उसके वारिसान इस्पो० सं० 1/15 का नाम नामान्तरण संख्या 935 दिनांक 20-06-2016 को गलत व बिना हस्तांतरण व तथ्यों की जाँच किए करा गया है। जिसमें हस्तांतरण पत्र कागज तक की सत्यता तथा को छाप (कार्बन) किया जाना आशंकित है तथा राजस्व अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अतः नामान्तरण 935 खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को नये सिरे से पुनः हस्तांतरण तथा सभी तथ्यों की पूर्ण रूप से जाँच करके नामान्तरण पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

—आदेश—

अतः अपील कर्ता अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील एवं धारा 5 अधि० आदेश पत्र को स्वीकार किया जाता है, एवं पूर्वतन नामान्तरण विधि से अपील दायर किए जाने की तारीख को कार्बन (कार्बन) किया जाता है। अपीलाधीन नामान्तरण 935 दि० 20-06-2016 को खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को अब निर्देश दिया जाता है कि नये सिरे से पंजीबद्ध परिप्रेषित किया जाता है कि नये सिरे से पंजीबद्ध हस्तांतरण तथा सभी हस्तांतरण को पूर्ण रूपेण जाँच करके पुनः विधि सम्मत नामान्तरण निर्णय पारित करें। तहसीलदार, सोजत को अब निर्णय की प्रति तहरीर के साथ प्रस्तुत होने की अवधि पत्रावली अपील अनुभाग में अग्रेतर से कार्य हेतु जमा हो। वादी तामील जाकर हाजिर करावें। लेखा अनुभाग जमा हो।

(राजेश सेवाड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 05-08-2019 को लिखवाया जाकर सिरे इजलास सुनाया गया।

(राजेश सेवाड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner